P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-4* July- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

पाकिस्तान में संसद तथा न्यायपालिका के वैधानिक स्वरूप तथा व्यवहारिक सम्बन्ध

अंशुबाला
असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति शास्त्र विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय,
विन्दकी, फतेहपुर

सारांश

पाकिस्तान में संसद तथा न्यायपालिका के सम्बन्धो को देखने से प्रतीत होता है कि यहां पर न्यायपालिका का राजनीतिकरण रहा है। सैन्यकाल में न्यायपालिका सत्ता के अधीनस्थ रह कर कार्य करती रही है। 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा न्यायपालिका द्वारा सत्तापक्ष के दबाव में ही दी गयी थी।[1] जनरल परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में मुख्य न्यायधीश चौधरी इफ्तिखार की बर्खास्तगी तथा वकीलो की हड़ताल आपसी संघर्ष में न्यायपालिका, संसद से अपने अधिकारो की रक्षा हेतु सघर्षरत दिखी। दिसम्बर 2011 मेमोगेट प्रकरण पर मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता में 9 न्यायाधीशों की पीठ का अटार्नी जनरल अनवारूल हक से जवाब मांगना पूर्व मंत्री बाबर आवान द्वारा न्यायापलिका के खिलाफ अपमान जनक टिप्पणी करने पर उनके द्वारा की गयी कार्रवाई पर लोगो काण्ड में सेना द्वारा तख्ता पलट रोकने के लिये अमेरिकी मदद के लिये गोपनीय मेमों सार्वजिनक हो गया।[2] इस काण्ड मे 10 प्रतिवादियों में आसिफ अली जरदारी तत्कालीन राष्टपति भी थे। दूसरी तरफ मई 2012 में अदालत की अवमानना पर प्रधानमंत्री युसूफ राजा गिलानी को संकेतिक कैद तथा न्यायपालिका की फटकार जरदारी पर भ्रष्टाचार के मामले को पुनः खोलने हेतु दिये गये न्यायालय के आदेश इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि पिछले कुछ वर्षो में यहां न्यायपालिका मजबूत हुयी हैं।[27, 28] इसकी वजह से आवाम को उसमे भरोसे की किरण दिख रही है। यह मुल्क फौजी तानाशाही और लोकतान्त्रिक मुखौटो से अजीज आ चुका हैं पी0पी0पी0 सरकार को न्यायपालिका का यह संदेश फौज के लिये भी इशारा हैं। हम देखते हैं की लोकतन्त्र में जनता की आवाज की महत्ता है इनकी आवाज सुनी जानी चाहियें।

मुख्य शब्द : पाकिस्तान, संसद, न्यायपालिका, मजलिस ए शूरा, सीनेट।

प्रस्तावना

जनता का जनता के लिये और जनता के द्वारा शासन की अवधारणा पाकिस्तान में सत्य प्रतीत नहीं होती है। सैन्य तानाशाहों ने देश में प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कई बार तार–तार किया है। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कौतुहल से कम नहीं है। यहाँ अब तक दो बार संविधान बनाया जा चुका है। वर्तमान पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में जिसके स्वरूप को अपनाया गया है राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है तथा प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है ।[3] यहाँ की विधायिका द्विसदनात्मक है उच्च सदन को सीनेट तथा निम्न सदन को राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। तीनो अंग मिलकर संसद कहलाते हैं जिसे मजलिस ए0शूरा कहा जाता है।

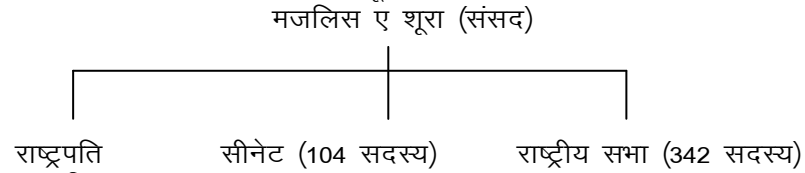

राष्ट्रपति

संविधान के अनुच्छेद–41 के अनुसार राष्ट्र का प्रभुत्व राष्ट्रपति के पास होगा। उसका चुनाव निर्वाचक मण्डल द्वारा दोनो सदनों के सदस्यों तथा प्रान्तीय असेम्बली के सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति को संसद के दो तिहाई बहुमत से हटाया जा सकता है। संविधान के 17वें संशोधन के अर्न्तगत राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा सिद्ध होने व वीटो अधिकार के तहत राष्ट्रीय सभा को भंग करके पुनः चुनाव करा सकता है।

यह एक्ट मुशरर्फ ने पारित किया था उनके समय राजनीतिक व्यवस्था यदि अध्यक्षीय प्रणाली में बदल गयी थी। परवेज मुशर्रफ राष्ट्र के अधिनायक बन गये।[4]

2010 में संसदीय चुनाव में लोकतांत्रिक सरकार के चुने जाने के पश्चात 18वॉ संवैधानिक संशोधन किया गया जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति की संसद को भंग करने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। 1973 के पश्चात का प्रथम प्रस्ताव था जो राष्ट्रपति की शक्ति को कम करता है। देखा जाय तो पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में स्वतंत्रता के पश्चात से जब–जब सैन्य अधिनायक के हाथों से सत्ता आयी तो उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शासन के सभी अंगो पर प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है।[5] उन्होंने वैधानिक परिवर्तन का सत्ता पर पूरा कब्जा कर लिया। सितम्बर 2008 में हुये संसदीय चुनाव के पश्चात आसिफ अली जरदारी राष्ट्र के राष्ट्रपति बने तथा 18वां संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियां कम हुयी।

अध्ययन के उद्देश्य

पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में संसद तथा न्यायपालिका के मध्य आपसी गतिरोध एवं सेना के हस्तक्षेप के कारण ऊपजी राजनीतिक अस्थिरता।

साहित्यावलोकन

पाकिस्तान की राजनीति में सेना का प्रभाव स्वतन्त्रता के कुछ वर्ष पश्चात् से ही दिखता है। यहां के इतिहास में 1958–71, 1977–88, 1999–2008 तक सैन्यतन्त्र ही सत्ता पर काबिज रहा है।[6] संविधान द्वारा पाकिस्तान में संसदीय लोकतन्त्रतात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। यहां पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। उच्च सदन सीनेट जिसमें कुल 100 सदस्य तथा द्वितीय सदन राष्ट्रीय असेम्बली या मजलिस एशूरा जिसमें कुल 342 सदस्यों का प्रावधान है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ का सक्रिय सदस्य रहा है। यह इस्लामिक संगठन का भी सदस्य रहा है पाकिस्तान में आधुनिकीकरण को तीव्रता से अपनाया गया। पाकिस्तान दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का द्वितीय बड़ा सहयोगी राष्ट्र है कि भारत तथा पाकिस्तान जैसे इस संगठन के बड़े राष्ट्रों के मध्य आपसी विवाद के कारण यह संगठन अपने उद्देश्यों परिपूर्ण तथा खरा नहीं उतर पा रहा है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अब तक चार बार युद्ध हो चुका है जम्मू काश्मीर की समस्या इसका मुख्य कारण रहा है। पाकिस्तान की विदेश नीति में अमेरिका की तरफ झुकाव अधिक रहा है। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेनाओं के प्रवेश के बाद से ही पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी राष्ट्र रहा है क्योंकि अफगानिस्तान की सीमायें पाकिस्तान से लगी हुयी हैं।[7] इस सन्दर्भ में हमें साहित्यावलोकन 2010 तक ही मिला है।

संविधान के अनु0 176 के अनुसार [8]

सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुसार तथा मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 'मजलिस ए शूरा' की सलाह पर किया जाता है।

अनु0 47 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के हटाने संबंधी प्रावधान है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया दोनों सदनों की पृथक–पृथक बैठक के स्थान पर संयुक्त बैठक में पूरी होती है पाकिस्तान में दोनों सदनों के कुल 1/4 सदस्यों द्वारा महाभियोग के लिए संकल्पना लाने की सूचना नेशनल असेम्बली को लिखित देनी होती है। स्पीकर कम से कम 7 दिन अधिकतम 14 दिन के बीच संयुक्त बैठक में महाभियोग की संकल्पना लाता है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाता है।

व्यवहारिक दृष्टिकोण से राष्ट्रपति का पद पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में अधिनायक वादी तन्त्र के आने पर शक्ति शाली हो गया। वहॉ की राजनीतिक व्यवस्था में सेना की प्रमुख भूमिका रही है। समय समय पर सैन्य प्रमुख ने सत्ता पर कब्जा कर अवैधानिक रूप से राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया जिसमें प्रमुख अयूब खॉ जिन्होने 1962 में नवीन संविधान का निर्माण कराया तथा स्वयं राष्ट्रपति बन बैठे।[9] 1969 में याह्या खॉं, ने भी स्वयं को सैन्य प्रमुख राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया। 1977 में जनरल जियाउल हक ने सत्ता पर कब्जा कर अन्य सभी अंगों को लकवाग्रस्त किया। 1999 में परवेज मुशरर्फ ने देश की सत्ता संभाली अप्रैल 2002 में जनमत संग्रह कराकर असंवैधानिक रूप से पुनः राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। न्यायपालिका द्वारा अवैधानिक ठहराव पर उन्होने 9 मार्च 2007 में देश के मुख्य न्यायाधीश इफ्तेखार मुहम्मद चौधरी को बर्खास्त कर दिया। न्यायिक संगठनों तथा युवाओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी समय लाल मस्जिद पर उनके द्वारा कट्टरपंथी पर हमला, तथा नवाब अकबर बुग्ती की हत्या जैसे मामले के कारण देश में जनता एक जुट हुई तो उन्होने 6 अक्टूबर 2007 में देश में आपात काल की घोषणा कर दी। देश में बेनजीर भुट्टों की हत्या तथा नवाज शरीफ के पुनः देश वापसी से जनता एक जुट हुई तथा संसदीय चुनाव में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की विजय हुई। मुशर्रफ को सैन्य प्रमुख पद से इस्तीफा देना पड़ा बाद में जब पी0पी0पी0 की सरकार उन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने वाली थी तभी 18 अगस्त 2008 को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। आसिफ अली जरदारी देश के नये राष्ट्रपति भी देश की न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करता है।[10]

संविधान के अनुच्छेद 50 से 89 तक मजलिस ए शूरा के विषय में उल्लेख है।

अनुच्छेद 50 के अनुसार राष्ट्रपति तथा दोनों सदन मिलकर मजलिस ए शूरा का गठन करते हैं।[11]

अनु0 51 के अनुसार इसके निम्न सदन राष्ट्रीय सभा में कुल 342 सदस्य जिसमें से कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं । इस सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है।

सीनेट

यह मजलिस ए शूरा का स्थायी सदन है संविधान के अनु0 59 के अनुसार इसका गठन होता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय असेम्बली के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।

न्यायपालिका

ऐतिहासिक दृष्टिकोण– पाकिस्तान की वर्तमान न्यायिक व्यवस्था विकास के फलस्वरूप आयी। भारत का एक भाग होने के कारण स्वतन्त्रता पूर्व यहॉ की हिन्दू शासन, मुगलकाल के इस्लामिक विधि तथा ब्रिट्रिश औपनिवेशिक काल के न्याय व्यवस्था का प्रभाव दृष्टिगत होता है।[12] वर्तमान न्यायिक व्यवस्था विकास तथा सुधार के फलस्वरूप है। भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का अस्तित्व आने पर यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 के अन्तर्गत गठित न्यायिक व्यवस्था के स्वरूप में बहुत कुछ परिवर्तन नहीं किया गया। पाकिस्तान के संविधान में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता कार्यपालिका तथा विधायिका या संसद से अवधारणा को स्वीकार किया है। किन्तु सैन्यतंत्र के पास सत्ता रही है तो न्यायपालिका पर सत्ता का ही प्रभाव हावी रहा है।[13]

संविधान के अन्तर्गत अनुच्छेद 175 से 212 तक यहाँ की न्यायिक व्यवस्था का उल्लेख है।

पाकिस्तान में न्यायिक व्यवस्था की संरचना

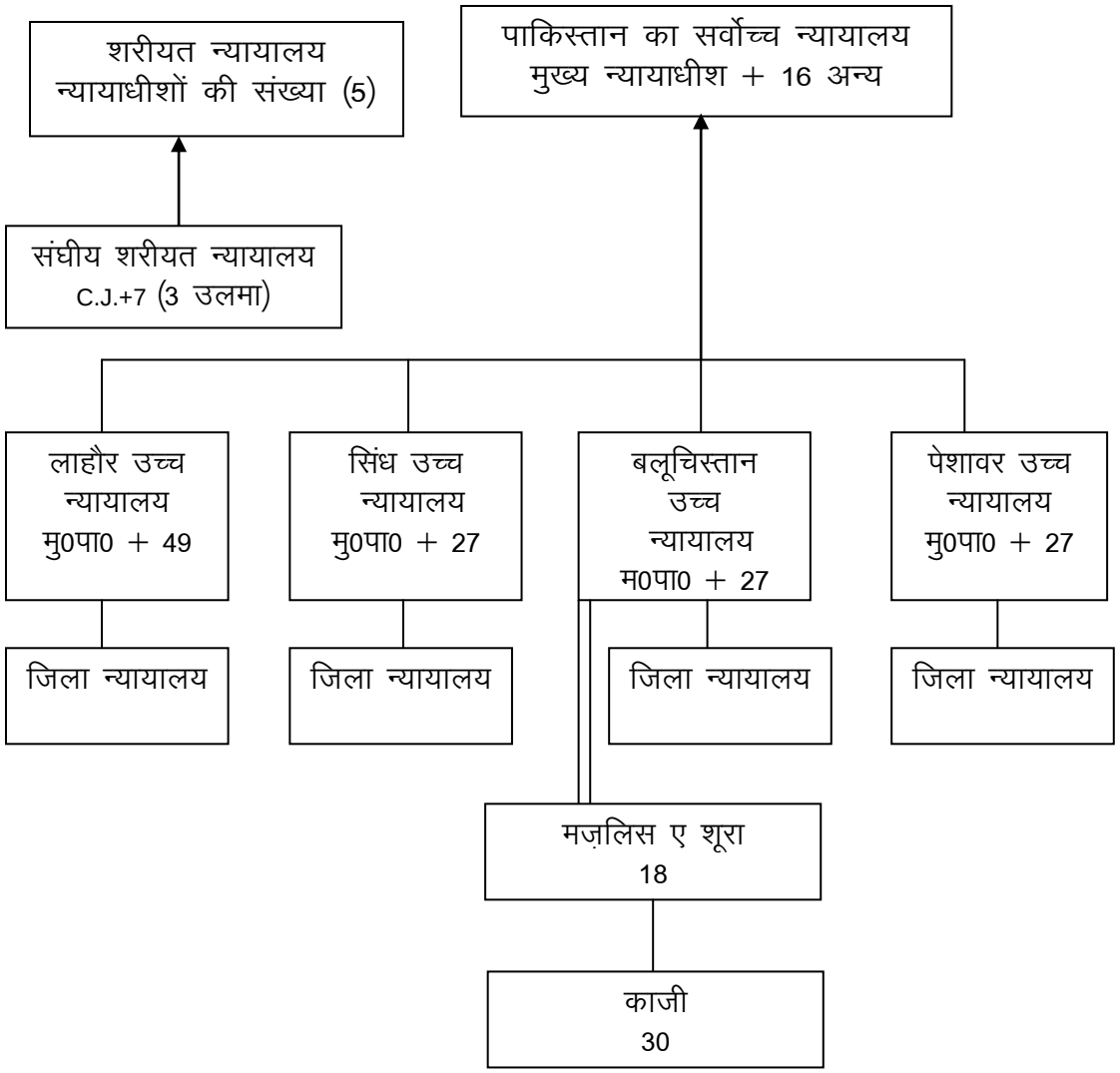

पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था की संरचना

सर्वोच्च न्यायालय देश के शिखर पर स्थित अपीलीय तथा परामर्शदात्री न्यायालय के रूप में है।[14] इसे मौलिक रुप से अपीलीय तथा संविधान और कानून की व्याख्या की अन्तिम निर्णायक के रूप में अधिकार प्राप्त है। इसके निर्णय अन्य सभी न्यायालयों में मान्य तथा सभी को जोड़कर भी रखता है। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह सरकार के मध्य पारस्परिक विवादों का निपटारा करता है साथ ही मौलिक अधिकार तथा जनहित से सम्बन्धित मुद्दों पर भी निर्णय प्रदान करता है।[15] अनुच्छेद –188 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मजलिस ए शूरा द्वारा पारित किसी भी कानून पर पुर्नविचार करने तथा उस पर निर्णय करने का अधिकार है।

प्रान्तीय स्तर पर उच्च न्यायालय– की व्यवस्था हैं इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं अलग–अलग प्रान्तो में अन्य न्यायाधीशों की संख्या अलग है। राष्ट्रपति के आदेश से उच्च न्यायालयो का गठन किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति देश के मुख्य मुख्य न्यायाधीश प्रान्त के गवर्नर के परामर्श के अनुसार ही करता है। यह अन्य अधीनस्थ न्यायालयो को नियंत्रित भी करता है।

संघीय शरीयत न्यायालय[16]

संविधान के अनुच्छेद 203 संघीय शरीयत न्यायालय का गठन किया गया है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 8 अन्य मुस्लिम न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो योग्य हो किया जा सकता है। तीन उलेमा की नियुक्ति जो इस्लामिक विधि का अच्छा जानकार हों को नियुक्त किया जाता है। यह न्यायालय नागरिको तथा सरकार की याचिकाओं का परीक्षण करता है जो इस्लामिक विधि के विपरीत हैं।[17] सरकार को भी इस्लामिक विधि के अनुरूप ही कानून में संशोधन करना पड़ता है। सघीय शरीयत न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को मान्य होता है। 1980 में गठित यह संघीय शरीयत न्यायालय समाज में आलोचना का भी विषय हुआ था सैन्य व्यवस्था में इस्लामीकरण को बल देने हेतु इसकी व्यवस्था हुयी।

अधीनस्थ न्यायालयों का गठन

दो वर्गों में सिविल न्यायालय तथा फौजदारी न्यायालय के स्वरूप में हुआ। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 209 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालीय परिषद् का गठन किया गया है।

इस परिषद में पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसी न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। यह सर्वोच्च न्यायिक परिषद न्यायाधीशों के विरूद्ध उनके द्वारा संवैधानिक कानूनों के उल्लंघन तथा कदाचार के मामले की जांच करता है।

उदाहरण

2007 में मुख्य न्यायाधीश इफ्तेखार मुहम्मद चौधरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर राष्ट्रपति परवेज मुर्शरफ ने काउन्सिल को जॉच का आदेश दिया जबकि काउन्सिल मुख्य न्यायाधीश के बिना पूरी नहीं होती थी तथा मुख्य न्यायाधीश पर लगाये गये आरोप नहीं सिद्ध हुये।[18]

संसद तथा न्यायपालिका के मध्य सम्बन्ध

पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में संवैधानिक दृष्टिकोण से न्यायपालिका अन्तिम व्याख्याकर्ता है किसी भी कानून के दृष्टिकोण से। सर्वोच्च न्यायालय विधि के शासन के अर्न्तगत राष्ट्रपति के सुरक्षित अधिकार को सुस्पष्ट करता है। अनु0–58 के अर्न्तगत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत होने पर राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। कानून की उचित प्रक्रिया के सन्दर्भ में न्यायपालिका सैन्य शासन के तहत अधिक सक्रिय हुयी। जब संवैधानिक व्यवस्था को सैन्य शासन में भंगकर दिया गया तब न्यायपालिका ने जनहित में कई राजनीतिक घटना क्रम में कानून की उचित प्रक्रिया के अर्न्तगत कार्यशील रही। प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फाँसी की सजा न्यायपालिका द्वारा सैन्य प्रमुख के दबाव में ही दिया था।

वैधानिक सम्बन्ध

अनु0 58 के सम्बन्ध में न्यायपालिका के परीक्षण द्वारा सिद्ध होने पर ही राष्ट्रपति को संसद को भंग करने का अधिकार है।

पर्यावरण के सन्दर्भ में

सर्वप्रथम पाकिस्तान में पर्यावरण संरक्षण विधेयक को 1983 को कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया किन्तु 1997 में पर्यावरण संरक्षण परिषद द्वारा उसके स्थान पर नया कानून लाया गया। 18वॉ संवैधानिक संशोधन 2010 के अर्न्तगत पर्यावरण के संरक्षण हेतु संघीय तथा प्रान्तीय सरकार को कानून के माध्यम से प्रयास रखने हेतु कार्य करने का स्वीकार किया गया। शाहिला जिया विवाद में न्यायपालिका, सर्वोच्चता को सावित करते हुये यह स्वीकार किया गया तथा पर्यावरण संरक्षण जनहित हेतु जरूरी मुद्दा है।[19]

जनरल मुशर्रफ के कार्यकाल में न्यायपालिका

पाकिस्तान में समय–समय पर अधिनायकवादी व्यवस्था के खिलाफ न्यायिक संस्थाओं ने विरोध किया। किन्तु जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा जस्टिस इफ्तिखार मुहम्मद चौधरी को बर्खास्त किये जाने के पश्चात् जब उन्होंने इस्तीफे से इन्कार किया उनके समर्थन में लगभग 500 से अधिक अधिवक्ताओं ने गिरफ्तारी दी तथा प्रेस तथा आम जनता का बड़ा समूह न्यायपालिका के साथ खड़ा हुआ तथा परवेज मुशर्रफ का विरोध किया। अधिवक्ताओं का आन्दोलन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के समर्थन में आया। 2009 ई0 में आम चुनाव के पश्चात् बर्खास्त सभी न्यायाधीशों की बहाली की गयी तथा 2009 में नयी न्यायिक नीति वहाँ के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक नया कदम था। न्यायपालिका देश में मजबूत हुयी। 18वां संवैधानिक संशोधन के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने मुशर्रफ की आपात कालीन व्यवस्था को असंवैधानिक करार दिया तथा जस्टिस चौधरी ने मुशर्रफ को दोबारा राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु अवरोध लगाया।[20] पाकिस्तान की राजनीति में न्यायपालिका तथा सरकार के मध्य विवाद पुनः देखने को दिसम्बर 2011 मेमो सम्बन्धी काण्ड के मामले में दृष्टिगत हुआ। इस काण्ड के अन्तर्गत पाकिस्तान की सेना जरदारी को सत्ता से बेदखल करना चाहती थी। अर्थात सैन्य तख्ता पलट की आशंका को लेकर पाकिस्तानी राजनयिक हुसैन हक्कानी ने जरदारी का गुप्त संदेश पहुँचाने का काम किया। इस मामले के कारण हक्कानी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा तथा पाकिस्तान में सुप्रीमकोर्ट ने मेमोगेट मामले के जॉच का आदेश दिया तथा मंसूर एजाज को न्यायिक आयोग के सामने पेश होने की भी शर्त रखी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित आयोग ने इसके जॉच का जिम्मा लिया।[21] इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों को जरदारी पर पुनः खोलने के अपने आदेश पर कोई कार्य नहीं कर पायी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री यूसूफ रजा गिलानी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है, की सम्भावना को व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में जारी राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया

था जिसमें जरदारी समेत आठ हजार से अधिक लोगों को भ्रष्टाचार के मामले से छूट दे दी गयी थी।

दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्याकाण्ड की सुस्त कार्रवाई तथा इस मामले पर परवेज मुशर्रफ पर कार्रवाई करने पर न्यायपालिका पर नाकाम रहने का आरोप लगाया है।[22] जियो टीवी पर अपने साक्षात्कार में जरदारी ने बेनजीर के उस मेल का उल्लेख किया जिसे उन्होंन अमेरिकी पत्रकार मार्क सिएगेल को भेजा था उसमें बेनजीर ने लिखा था कि यदि उनकी हत्या होती है तो उसके लिये मुशर्रफ को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये। जरदारी ने कहा न्यायाधीश उनके खिलाफ कारवायी क्यों नहीं करते। तथा मेमोगेट काण्ड 1 के विषय में कहा– ''अभी तक किसी ने मुझसे इस्तीफा नहीं मांगा है अगर कोई मॉगता है तो मैं आपको बता दूंगा'' मैंने अपनी शक्तियां संसद को सौंप दी है और संसद से मेरी शक्ति वापस कौन ले सकता है, यह मेमोगेट काण्ड के विषय में उनकी उक्ति थी।[23] पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सूचना सचिव उमर जामान काइरा ने मेमोगेट मामले में कहा कि यह सरकार के प्रति षडयंत्र है तथा जनता का ध्यान अन्य मामले से हटाने हेतु किया गया।

न्यायपालिका और सरकार के बीच अभी तनाव खत्म नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 2012 को तीन केन्द्रीय मंत्रियों समेत 28 सांसदो और विधायको के चुनाव को निलंम्बित कर दिया।[24] मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय बेंच ने पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी प्रमुख इमरान खॉन की याचिका में उपचुनावों को अवैध घोषित किये जाने की याचिका पर यह आदेश दिया। इस याचिका में चुनाव में फर्जी वोटरों के सम्मलित करने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इन उपचुनावों को वैध ठहराने के लिये कानूनी रूप से सही साबित करने के लिये 6 फरवरी तक का समय दिया था। इनको वैध ठहराने के लिये संसद ने 20वॉ संवैधानिक संशोधन को भी पेश किया किन्तु विपक्षी दलों के विरोध के कारण यह पारित नहीं हो सकता। इस आदेश में न्यायपालिका ने कहा कि 28 सदस्यों का चुनाव तब तक स्थगित रहेगा जब तक उनको वैध ठहराने वाला 20वां संवैधानिक संशोधन पारित नहीं हो जाता।

वर्तमान सरकार तथा न्यायपालिका के बीच संघर्ष– पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में अदालत की अवमानना का दोषी करार देते हुये तत्कालीन प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी को तब तक कैद की सजा सुनायी जब तक अदालत की कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती।यह सजा अदालत की अवमानना अध्यादेश (2003 के अध्यादेश) के तहत दी गयी।[25] इसके पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को मेमोगेट स्कैण्डल में अदालत के सामने तौहीन होना पड़ा था। सरकार तथा न्यायपालिका के मध्य गतिरोध तो यहॉ की पहले की परम्परा चली आ रही है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने तो मुख्य न्यायाधीश इफ्तेखार चौधरी को पद से हटा दिया था। 2007 राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश जिसमें तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं पर चल रहे भ्रष्टाचार पर आरोप खत्म किये जाने का प्रावधान था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया था। वजीरे आजम गिलानी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को स्विस सरकार के पत्र लिखकर फिर से खोला जाय ऐसा न करने पर अवमानना का आरोप लगा। गिलानी ने कोर्ट के निर्देश पर कहा था कि वह संविधान के अनुसार कार्य करेगें।

पाकिस्तान की चुनी सरकार तथा न्यायपालिका की जंग ने वहॉ लोकतंत्र को और कमजोर किया है। संविधान के मुताबिक अदालत की सजा पाया व्यक्ति सांसद नहीं रह सकता है। गिलानी को अपदस्थ करने में संसद के पीठासीन तथा चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यहॉ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इफ्तेखार चौधरी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रूप में भी इस फैसले को देखा जा सकता है क्योंकि यह पाकिस्तान के हित में है की निर्वाचित सरकार बनी रहे नहीं तो जनरल अशफाक कियानी के नेतृत्व में सेना पुनः प्रभावी हो सकती है।

8/5/12 पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी लगातार शीर्ष अदालत की अवज्ञा कर रहे हैं।[26] उन्होंने न्यायपालिका को मजाक बना दिया है। न्यायमूर्ति नसीर–उल–मुल्क की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने प्रधानमंत्री को दोषी ठहराने वाला 77 पृष्ठ का आदेश जारी किया। इसी में उन्होंने एक मिनट से कम की कैद की संकेतिक सजा सुनायी थी। कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराये जाने पर उन्हें कम से कम 5 वर्ष के लिये संसद सदस्य के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है। इस संदर्भ में विधि मंत्री वसीम जाफर ने मीडिया को बताया कि गिलानी का मामला संसद के निचले सदन यानि कि नेशनल असेम्बली के स्पीकर के पास भेजा जायेगा। इस सन्दर्भ में डेली टाइम्स में गिलानी के हवाले से बताया कि उन्होंने कहा– सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ अवमानना के मामले की निष्पक्ष सुनवायी के लिये हर सम्भव कोशिश करेगे। ''मुझे सत्ता से चिपके रहने की इच्छा नहीं, ''पर मुझे असंवैधानिक तरीके से पद से हटाना नहीं है सम्भव''। गिलानी ने कहा देश के संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के स्पष्ट तरीके दिये गये हैं, तथा संविधान में प्रधानमंत्री को पद से हटाने के रास्ते बताये गये हैं और कोई भी असंवैधानिक तरीके से उन्हें पद छोड़ने को मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें अपील करने का अधिकार है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *भुट्टो,बेनजीर,''डॉटर आफ ईस्ट :एन आटोबायोग्राफी''*
2. *http://www.usatoday.comnews/world/story/2011-11-23*
3. *पाकिस्तान का संविधान*
4. *The Constitution of 1973. Enterprise team : The Study of Pakistan, RC trieval 15.10.11*
5. *आलम, डा0 शाह, ''पाकिस्तान मिलिट्री रोल इन गर्वनेन्स'', लेख–सेमिनार में प्रस्तुत, 24 फरवरी 2010*
6. *पाकिस्तान का संविधान*
7. *World : South Asia Pakistan's army and its history of politics Retrieved 16 March 2009*
8. *Dr. Nazir Khaja "Pakistan and USA- Allies in the war on terrorism". Retrieved 15 Feb. 2010*

9. http//www.u4no/helpdesk/query.cfm?id=174
10. http//www.governancenow.com/news/regularstory/trust=deficit.indo-pak-ralation- biggestbane.
11. पाकिस्तान का संविधान
12. हुसैन डा0 फकीर, ''द जूडिश्यिल सिस्टम आफ पाकिस्तान'', 2008 जर्नल साउथ एशियन सर्वे
13. एशियन लॉ',–''एनालिसिस आफ डिफेक्टिव कान्स्टीट्यूशन आफ पाकिस्तान'', 20007,पृष्ठ – 187
14. पाकिस्तान का संविधान
15. Pakistan lawyer's Forum Vs Federation of Pakistan 2006.
16. पाकिस्तान का संविधान
17. Subs by the Legal frame work order, 2002, CESO, No-24 as, 2002.
18. Qadir Mohammad Abdul, Pakistan, opcit, Page. 187
19. Interview, Hussain Dr. Parvez, "Pakistan Environmental law"in Journal, South Asian Survey- 2008.
20. The Hindu, Daily Newspaper, Nov-30, 2011.
21. http//www.ustoday.comnews/worldstory/2011-23/pakistan-usa.ambassador/513651081
22. समाचार पत्र दैनिक जागरण – 27.04.2012
23. दैनिक समाचार पत्र, ''हिन्दुस्तान'', 27/04/12
24. http://paktribune.comnews/top - 06/02/12
25. समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'', 27/04/12
26. समाचार पत्र, ''दैनिक जागरण'', 9/5/12
27. समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'', 31/07/17
28. समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'', 12/08/17